

प्रेस नोट दिनांक-17.02.2021

(1). आज दिनांक-17.02.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा थाना मऊ का वार्षिक निरीक्षण किया गया। थाना निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये-

- (1). सर्वप्रथम गार्द द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सलामी दी गयी। महोदय द्वारा अच्छी सलामी हेतु गार्द टीम को पुरस्कृत किया गया।
- (2). महोदय द्वारा थाना परिसर में भ्रमण कर साफ-सफाई देखी गयी, साफ-सफाई संतोषजनक पायी गयी।
- (3). थाना परिसर में खड़े मुकदमाती, लावारिश, सीज, एम0वी0 एकट वाहनों के निस्तारण हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।
- (4). महोदय द्वारा बैरिक, आवासों की साफ-सफाई देखकर कमियों को दूर करने हेतु निर्देश दिये। बैरिक, आवासों एवं कार्यालयों में लगे पंखों की आयलिंग एवं ग्रीसिंग हेतु निर्देश दिये गये।
- (5). थाना में ई-मालखाना बनवाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ को निर्देश दिये गये।
- (6). मालखाना निरीक्षण के दौरान सरकारी सम्पत्ति का सत्यापन, मालों का सत्यापन किया गया।
- (7). थाना कार्यालय निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा रजिस्टर नं0 4, मालखाना रजिस्टर, चुनाव रजिस्टर, काजलिस्ट, ऑर्डर बुक न्यायालय, कैश बुक, चिक खुराक रजिस्टर, हिस्ट्रीशीटर रजिस्ट्रों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। फ्लाइंगशीट की तख्ती बनवाकर लगाने हेतु निर्देश दिये।
- (8). महिला हेल्प डेस्क के निरीक्षण के दौरान आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन किया एवं शिकायत पेटिका लगवाने हेतु निर्देश दिये।
- (9). सीसीटीएनएस कार्यालय के निरीक्षण के दौरान केस डायरी की फीडिंग, ऑनलाइन चरित्र सत्यापन की वर्तमान स्थिति, जी0डी0 का समय देखा गया। सीसीटीएन कार्यालय में उपलब्ध उपकरणों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी एवं जो भी सामान कम था उसकी रिपोर्ट बनाकर प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये। महोदय द्वारा सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में प्रतिदिन होने वाली फीडिंग को कार्यालय में नोटस बोर्ड बनाकर उसमें अंकित करने हेतु निर्देश दिये गये।
- (10). जी0पी0 लिस्ट से मिलान कराने हेतु निर्देश दिये गये। निष्प्रयोज्य सामान को कन्डम कर पुलिस लाइन स्टोर में रखवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- (11). महोदय द्वारा मालखाना में रखे अस्त्र-शस्त्र के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा तथा शस्त्रों की साफ-सफाई नियमित रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया। कारतूसों की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये।
- (12). हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर एवं आवास आवंटन रजिस्टर मिलान हेतु निर्देश दिये गये।
- (13). पुराने थाने पर पुलिस चौकी बनवाने हेतु प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिये।
- (14). लैण्डलाइन नम्बर को सही कराने हेतु निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ, श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ, श्री जयशंकर सिंह पीआरओ0, श्री कमलेश राव स्टेनो पुलिस अधीक्षक, श्री शिवबदन सिंह वाचक पुलिस अधीक्षक, श्री मनीष वर्मा जिला कोर्डिनेटर सीसीटीएनएस एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी व 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(क). श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 06/17 धारा 147/149/323/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त 1. राजेश 2. अमित 3. बड़कू पुत्रगण श्रीपाल निवासीगण लोहसरिया मजरा सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा
2. वरि0उ0नि0 श्री योगेश तिवारी
3. आरक्षी अभिषेक यादव
4. आरक्षी सत्यपाल सिंह

(ख). वरि0उ0नि0 श्री गोपालचन्द्र कनौजिया थाना मऊ तथा उनकी द्वारा मु0अ0सं0 83/2020 धारा 419/420/467/468/471/272/273 भादवि0 व 60/63 आबकारी अधिनियम के वांछित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी लोहरा थाना कमासिन जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया। यह अभियुक्त अवैध शराब की तस्करी करता है तथा माह अप्रैल 2020 से फरार चल रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री गोपालचन्द्र कनौजिया थाना मऊ
2. उ0नि0 श्री रामकृपाल सिंह
3. मुख्य आरक्षी राजबहादुर
4. आरक्षी धर्मेन्द्र कुशवाहा
5. आरक्षी अमित चौरसिया

(3). आज दिनांक 17-02-2021 को सड़क सुरक्षा यातायात माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री घनश्याम पाण्डेय यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस टीम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोडवेज बस स्टैण्ड पर पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से चालको/परिचालकों एवं यात्रियों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा रोडवेज चालको को सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से न चलने हेतु बताया गया एवं रिफ्लेक्टर लगाकर चलने हेतु निर्देशित किया गया। यातायात पुलिस टीम द्वारा चार पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाये गए। आज के कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल पर तीन सवारी चलने वाले तथा हेलमेट न लगाने वालों का बड़े पैमाने पर ई-चालान किया गया। यातायात प्रभारी द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर न चलने पर होने वाली क्षति के बारे में बताया गया और इस बात के लिए जागरूक किया गया कि जीवन अत्यंत बहुमूल्य है सदैव हेलमेट लगाकर ही चले। अपने गांव मुहल्ले के लोगो को भी मोटरसाइकिल पर 3 सवारी न चलने एवम हेलमेट लगाकर चलने हेतु जागरूक करें। तदोपरांत कोविड 19 का पालन न करने वालो को भी मास्क लगाकर चलने, हाथ धुलने आदि के बारे में जागरूक किया गया एवं नियमों का पालन न करने वालो से 2500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। तीन सवारी एवं हेलमेट का प्रयोग न करने वाले 70 वाहनो का 70000 रूपये पेंडिंग ई चालान किया गया।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 17.02.2021 एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा बस स्टैण्ड, तुलसी इण्टर कॉलेज राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा अतरी मजरा सेमरा धनेवा में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19

के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ०प्र० पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।